

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/344 सम्पत कंवर बनाम सुप्यार कंवर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थिया ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत अपील को विद्धो किये जाने हेतु पेश किया। शा.फा.हो। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अपील को विद्धो किये जाने के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज दिनांक 17.09.2025 तारीख पेशी नियत है। उपरोक्त अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो गया है तथा अपीलार्थीया/प्रार्थीया अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है। अपील को इसी स्तर पर निरस्त किया जाकर अपील को विद्धो करने की इजाजत प्रदान किया जाकर अपील विद्धो किये जाने के आदेश प्रदान करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को विद्धो किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अपीलार्थीया द्वारा अपनी अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर विद्धो किये जाने में खारिज किये जाने का कथन करते हुए न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये गये हैं। अपीलार्थीया द्वारा अपनी पहचानस्वरूप आधार कार्ड नं. 584177868796 की फोटो प्रति स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>हमने अपीलार्थीया की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीया स्वयं ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिये गये हैं इसलिये यह अपील आगे चलाये जाने योग्य नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थीया का प्रा. पत्र अपील विद्धो करने स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीया स्वयं अपनी अपील विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: center;">(दीप्ति कच्छवाहा) अतिरिक्त सहायक आयुक्त आतिरिक्त सहायक आयुक्त असुपुर</p>	सम्पत